# *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय*

## मांग संख्या 66

### सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

*(करोड़ रुपए)*

| | | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 2176.10 | 353.72 | 2529.82 | 3319.00 | 374.48 | 3693.48 | 2492.00 | 384.22 | 2876.22 | 2603.01 | 394.11 | 2997.12 |
| ***पूंजी*** | | ***75.15*** | *0.27* | *75.42* | *8.00* | *0.80* | *8.80* | *8.00* | *0.80* | *8.80* | *9.50* | *0.80* | *10.30* |
| **जोड़** | | **2251.25** | **353.99** | **2605.24** | **3327.00** | **375.28** | **3702.28** | **2500.00** | **385.02** | **2885.02** | **2612.51** | **394.91** | **3007.42** |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 9.26 | 9.26 | ... | 10.14 | 10.14 | ... | 10.48 | 10.48 | ... | 11.50 | 11.50 |
| **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (मएसएमई)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ऋण सहायता कार्यक्रम | 2851 | 74.99 | ... | 74.99 | 28.50 | ... | 28.50 | 28.50 | ... | 28.50 | 20.25 | ... | 20.25 |
| 3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम | 2851 | 459.37 | ... | 459.37 | 487.75 | ... | 487.75 | 433.92 | ... | 433.92 | 299.98 | ... | 299.98 |
| *4. एसएमई संवर्धन स्कीमे* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत योजना | 2851 | 0.54 | ... | 0.54 | 3.00 | ... | 3.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 2.28 | ... | 2.28 |
| 4.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना | 2851 | 4.42 | ... | 4.42 | 4.60 | ... | 4.60 | 4.60 | ... | 4.60 | 3.80 | ... | 3.80 |
| 4.03 निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम | 2851 | 57.98 | ... | 57.98 | 65.00 | ... | 65.00 | 85.00 | ... | 85.00 | 26.00 | ... | 26.00 |
| 4.04 विपणन सहायता योजना | 2851 | 10.88 | ... | 10.88 | 11.80 | ... | 11.80 | 11.80 | ... | 11.80 | 12.00 | ... | 12.00 |
| *जोड़- एसएमई संवर्धन स्कीमे* | | *73.82* | ... | *73.82* | *84.40* | ... | *84.40* | *102.40* | ... | *102.40* | *44.08* | ... | *44.08* |
| 5. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता | 2851 | 117.48 | ... | 117.48 | 116.99 | ... | 116.99 | 77.70 | ... | 77.70 | 70.37 | ... | 70.37 |
| 6. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना | 2851 | 2.22 | ... | 2.22 | 2.70 | ... | 2.70 | 2.70 | ... | 2.70 | 0.90 | ... | 0.90 |
| 7. विकास आयुक्त (एमएसएमई) | 2851 | ... | 20.18 | 20.18 | ... | 21.21 | 21.21 | ... | 20.25 | 20.25 | ... | 21.86 | 21.86 |
| 8. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाए और कार्यक्रम | 2851 | 44.09 | 86.72 | 130.81 | 49.00 | 93.92 | 142.92 | 39.80 | 95.21 | 135.01 | 31.60 | 102.47 | 134.07 |
| *9. अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (पूर्व एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ)* | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 कार्यक्रम घटक | 2851 | 126.95 | ... | 126.95 | 194.00 | ... | 194.00 | 188.68 | ... | 188.68 | 192.50 | ... | 192.50 |
| 9.02 ईएपी घटक | 2851 | 0.36 | ... | 0.36 | 150.00 | ... | 150.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 97.00 | ... | 97.00 |
| *जोड़- अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (पूर्व एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ)* | | *127.31* | ... | *127.31* | *344.00* | ... | *344.00* | *208.68* | ... | *208.68* | *289.50* | ... | *289.50* |
| 10. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम | 2851 | 9.15 | ... | 9.15 | 18.25 | ... | 18.25 | 11.81 | ... | 11.81 | 17.91 | ... | 17.91 |
| 11. डाटाबेस को अद्यतन करना | 2851 | 13.96 | ... | 13.96 | 19.44 | ... | 19.44 | 16.00 | ... | 16.00 | 59.96 | ... | 59.96 |
| | 3601 | -0.52 | ... | -0.52 | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | 3602 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | 0.02 | ... | 0.02 |
| | *जोड़* | *13.44* | *...* | *13.44* | *19.50* | *...* | *19.50* | *16.00* | *...* | *16.00* | *60.00* | *...* | *60.00* |
| 12. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग | 4059 | 5.15 | ... | 5.15 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 9.50 | ... | 9.50 |
| 13. भारत समावेशी नवोन्मेष निधि (पूर्व राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि) | 2851 | 16.50 | ... | 16.50 | 45.00 | ... | 45.00 | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 |
| **जोड़-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (मएसएमई)** | | **943.52** | **106.90** | **1050.42** | **1204.09** | **115.13** | **1319.22** | **929.51** | **115.46** | **1044.97** | **864.09** | **124.33** | **988.42** |
| **खादी एवं ग्राम उद्योग** | | | | | | | | | | | | | |
| **खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग** | | | | | | | | | | | | | |
| *14. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग* | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 खादी उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01.01 खादी के लिए एमडीए सहित खादी अनुदान | 2851 | 137.78 | 212.87 | 350.65 | 84.93 | 201.98 | 286.91 | 174.93 | 201.98 | 376.91 | 131.26 | 201.98 | 333.24 |
| 14.01.02 खादी (एसएंडटी) | 2851 | 0.27 | ... | 0.27 | 1.24 | ... | 1.24 | 0.40 | ... | 0.40 | 0.99 | ... | 0.99 |
| *जोड़- खादी उद्योग* | | *138.05* | *212.87* | *350.92* | *86.17* | *201.98* | *288.15* | *175.33* | *201.98* | *377.31* | *132.25* | *201.98* | *334.23* |
| 14.02 अन्य ग्राम उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 14.02.01 वीआई अनुदान | 2851 | 37.66 | 5.36 | 43.02 | 61.73 | ... | 61.73 | 55.19 | ... | 55.19 | 32.21 | ... | 32.21 |
| 14.02.02 वीआई (एसएंडटी) | 2851 | 0.48 | ... | 0.48 | 1.24 | ... | 1.24 | 0.40 | ... | 0.40 | 0.99 | ... | 0.99 |
| *जोड़- अन्य ग्राम उद्योग* | | *38.14* | *5.36* | *43.50* | *62.97* | *...* | *62.97* | *55.59* | *...* | *55.59* | *33.20* | *...* | *33.20* |
| 14.03 खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नवीन संघटक सहित) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 14.04 केवीआई क्षेत्र में अवसंरचना तथा कौशल समूह का विकास | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 14.05 वीआई का संवर्धन तथा विद्यमान कमजोर वीआई का विकास (कमजोर VI संस्थानों के पुनरुज्जीवन के लिए नए संघटक सहित) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 14.06 बाजार संवर्धन (जिसमें निर्यात संवर्धन शामिल है) और प्रचार (विपणन परिसरों/प्लाजाओं के नए संघटक शामिल हें) तथा आशोधित एमडीए | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |
| 14.07 खादी और VI (एस एंड टी)और एक अनन्य विरासत और हरित उत्पाद के रुप में खादी संवर्धन हेतु योजना (स्पोक) | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 |

*(करोड़ रुपए)*

| | | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | *जोड़- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग* | | *176.19* | *218.23* | *394.42* | *149.29* | *201.98* | *351.27* | *231.07* | *201.98* | *433.05* | *165.60* | *201.98* | *367.58* |
| *15.* | *ब्याज सब्सिडियां* | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.01 खादी उद्योग | 2851 | ... | ... | ... | 0.10 | 21.25 | 21.35 | 0.10 | 21.25 | 21.35 | 0.10 | 21.25 | 21.35 |
| | 15.02 अन्य ग्रामोद्योग | 2851 | ... | ... | ... | 0.10 | 5.36 | 5.46 | 0.10 | 5.36 | 5.46 | 0.10 | 5.36 | 5.46 |
| | *जोड़- ब्याज सब्सिडियां* | | *...* | *...* | *...* | *0.20* | *26.61* | *26.81* | *0.20* | *26.61* | *26.81* | *0.20* | *26.61* | *26.81* |
| 16. | खादी और पोलीवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र | 2851 | ... | ... | ... | 36.57 | ... | 36.57 | 36.57 | ... | 36.57 | 40.07 | ... | 40.07 |
| 17. | महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान | 2851 | 8.01 | 0.50 | 8.51 | 11.00 | 0.50 | 11.50 | 4.10 | 3.24 | 7.34 | 3.63 | 3.24 | 6.87 |
| *18.* | *पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी)* | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.01 स्फूर्ति - केवीआईसी | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 18.02 स्फूर्ति | 2851 | ... | ... | ... | 54.00 | ... | 54.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 45.00 | ... | 45.00 |
| | 18.03 खादी कामगारों के लिए वर्कशेड योजना | 2851 | 8.23 | ... | 8.23 | 18.00 | ... | 18.00 | 14.29 | ... | 14.29 | 5.94 | ... | 5.94 |
| | 18.04 खादी उद्योगों और कामगारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए योजना | 2851 | ... | ... | ... | 0.46 | ... | 0.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 18.05 मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता | 2851 | 1.11 | ... | 1.11 | 7.42 | ... | 7.42 | 5.62 | ... | 5.62 | 2.70 | ... | 2.70 |
| | *जोड़- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी)* | | *9.34* | *...* | *9.34* | *79.91* | *...* | *79.91* | *21.91* | *...* | *21.91* | *53.64* | *...* | *53.64* |
| 19. | खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता) | 2851 | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 | 28.00 | ... | 28.00 | 59.85 | ... | 59.85 |
| 20. | खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता) | 2851 | ... | ... | ... | 171.70 | ... | 171.70 | 10.00 | ... | 10.00 | 180.00 | ... | 180.00 |
| 21. | खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण | 6851 | ... | ... | ... | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 |
| **जोड़-खादी एवं ग्राम उद्योग** | | | **193.54** | **218.73** | **412.27** | **493.67** | **229.59** | **723.26** | **331.85** | **232.33** | **564.18** | **502.99** | **232.33** | **735.32** |
| **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2851 | 1019.36 | ... | 1019.36 | 1234.31 | ... | 1234.31 | 977.11 | ... | 977.11 | 938.63 | ... | 938.63 |
| *23.* | *कॉयर उद्योग* | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.01 कॉयर बोर्ड | 6851 | ... | 0.27 | 0.27 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 |
| | 23.01.01 कॉयर बोर्ड योजना (एसएंडटी) | 2851 | 6.51 | ... | 6.51 | 6.30 | ... | 6.30 | 4.97 | ... | 4.97 | 2.70 | ... | 2.70 |
| | 23.01.02 कॉयर बोर्ड योजना (सामान्य) | 2851 | 32.00 | 18.90 | 50.90 | 41.20 | 20.12 | 61.32 | 27.77 | 26.45 | 54.22 | 23.78 | 26.45 | 50.23 |
| | *जोड़- कॉयर बोर्ड* | | *38.51* | *19.17* | *57.68* | *47.50* | *20.42* | *67.92* | *32.74* | *26.75* | *59.49* | *26.48* | *26.75* | *53.23* |
| | 23.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन | 2851 | 6.59 | ... | 6.59 | 14.40 | ... | 14.40 | 7.30 | ... | 7.30 | 18.00 | ... | 18.00 |
| | 23.03 पारंपरिक अद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति- | 2851 | ... | ... | ... | 0.03 | ... | 0.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| कॉयर) | | | | | | | | | | | | | |
| *जोड़- कॉयर उद्योग* | | *45.10* | *19.17* | *64.27* | *61.93* | *20.42* | *82.35* | *40.04* | *26.75* | *66.79* | *44.48* | *26.75* | *71.23* |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान** | | | | | | | | | | | | | |
| *24. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान* | | | | | | | | | | | | | |
| 24.01 एसएमई प्रभाग | 2552 | ... | ... | ... | 22.61 | ... | 22.61 | 16.90 | ... | 16.90 | 13.83 | ... | 13.83 |
| 24.02 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना | 2552 | ... | ... | ... | 0.30 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 0.30 | 0.10 | ... | 0.10 |
| 24.03 विकास आयुक्त (एमएसएमई) | 2552 | ... | ... | ... | 58.00 | ... | 58.00 | 53.29 | ... | 53.29 | 83.27 | ... | 83.27 |
| 24.04 खादी और ग्रामोद्योग | 2552 | ... | ... | ... | 33.72 | ... | 33.72 | 18.19 | ... | 18.19 | 28.86 | ... | 28.86 |
| | 6552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | ... | ... | ... | *33.72* | ... | *33.72* | *18.19* | ... | *18.19* | *28.86* | ... | *28.86* |
| 24.05 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | ... | 183.97 | ... | 183.97 | 130.95 | ... | 130.95 | 111.37 | ... | 111.37 |
| 24.06 भारत नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग निधि | 2552 | ... | ... | ... | 28.30 | ... | 28.30 | ... | ... | ... | 20.00 | ... | 20.00 |
| 24.07 कॉयर उद्योग | 2552 | ... | ... | ... | 6.10 | ... | 6.10 | 1.86 | ... | 1.86 | 4.89 | ... | 4.89 |
| *जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान* | | ... | ... | ... | *333.00* | ... | *333.00* | *221.49* | ... | *221.49* | *262.32* | ... | *262.32* |
| 25. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश | 4851 | 70.00 | ... | 70.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. वास्तविक वसूलियां | 2851 | -20.27 | -0.07 | -20.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ***कुल जोड़*** | | ***2251.25*** | ***353.99*** | ***2605.24*** | ***3327.00*** | ***375.28*** | ***3702.28*** | ***2500.00*** | ***385.02*** | ***2885.02*** | ***2612.51*** | ***394.91*** | ***3007.42*** |

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 12851 | ... | 419.52 | 419.52 | ... | 372.00 | 372.00 | ... | 372.00 | 372.00 | ... | 430.00 | 430.00 |
| **जोड़** | | **...** | **419.52** | **419.52** | **...** | **372.00** | **372.00** | **...** | **372.00** | **372.00** | **...** | **430.00** | **430.00** |
| **ग. योजना परिव्यय** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ग्राम एवं लघु उद्योग | 12851 | 2251.25 | 419.52 | 2670.77 | 2994.00 | 372.00 | 3366.00 | 2278.51 | 372.00 | 2650.51 | 2350.19 | 430.00 | 2780.19 |
| 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 333.00 | ... | 333.00 | 221.49 | ... | 221.49 | 262.32 | ... | 262.32 |
| **जोड़** | | **2251.25** | **419.52** | **2670.77** | **3327.00** | **372.00** | **3699.00** | **2500.00** | **372.00** | **2872.00** | **2612.51** | **430.00** | **3042.51** |

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम (ऋण और वित्त):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्कीम प्रचालन में है। इस स्कीम के माध्यम से गारन्टी कवर में संपार्श्विक के बगैर मौजूदा लघु उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों के लिए 100 लाख रू. तक का ऋण सदस्य उधारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन पोर्टफोलियो जोखिम निधि के दूसरे घटक में भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म, वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध कराती है जिसे एमएफआई/एनजीओ से ऋण राशि की अपेक्षित प्रतिभूति जमा के लिए प्रयोग किया जाता है।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता:** इस कार्यक्रम में ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम स्कीम (6 स्कीमें) अर्थात लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सूलमउ क्षेत्र में आईसीटी टूलों का संवर्धन, सूलमउ के प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता, इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई को उद्यमिता एवं प्रवर्धन विकास हेतु सहायता, सूलमउ क्षेत्र के लिए डिजाइन क्लीनिक स्कीम, गुणवत्ता प्रवर्धन मानक और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा हेतु सशक्त बनाना शामिल है।

4.01. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओं पर संगत एवं विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से/ समय-समय पर एकत्र करना, आनुभाविक आंकड़े अथवा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्मुख आई बाध्यताएं तथा चुनौतियों का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, तथा नीति अनुसंधान तथा समुचित कार्यनीति तैयार करना सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपायों के लिए इन सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम का प्रयोग करना है।

4.02. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है।

4.03. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम-इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उदयमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रूपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है

4.04. **विपणन सहायता स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्टीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी दवारा घरेलू तथा अंतर्राष्टीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. **प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता:** प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय संस्थान अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी और राष्ट्रीय सूलमउ संस्थान, हैदराबाद को देश के सभी भागों में संभावित उद्यमियों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है (इस स्कीम के अधीन सहायता मौजूदा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भी उपलब्ध कराई जाती है)।

6. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य नये उद्यमों की स्थापना तथा प्रबंधन में संभावित ऐसे प्रथम पीढी के उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता प्रदान करना है जो विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं कानूनी अडचनों तथा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन के लिए विभिन्न अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे हैं।

7. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.):** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक नोडल निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और इस क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

8. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमडीपी, ईडीपी) कौशल, कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए प्रावधान भी कवर किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास स्कीम भी कवर की जाती है जिसके अधीन सहायता गैर कृषि गतिविधियों में उनके उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

9. **अवसंरचना तथा क्षमता निर्माण:** सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना सहायता को अत्यधिक सहायता प्राप्त परियोजना वित्तपोषण के साथ जोड़ा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी के संघों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान भी शामिल होते हैं। ये कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जालन्धर, गुवाहाटी और हैदराबाद में स्थित है। इन्हें डिजाइन और औजार मोल्ड जिग एवं फिक्चर पूर्जे आदि उत्पादित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग हेतु इन्डो-जर्मन एवं इन्डो डैनिस के सहयोग से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम अर्थात लघु औजार कक्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं जो टूल और डाई निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र जो रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुम्बई तथा हैदराबाद में हैं। ये विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फारजिंग, इलैक्ट्रानिक्स सुगंध तथा सुरस, स्पोर्ट सामान, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्पाद विशेष केंद्र हैं।

आगरा और चैन्नई स्थित सूलमउ के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) कार्य करने के लिए सूक्ष्म और लघु फुटवियर विनिर्माण इकाईयों के लिए फुटवियर उद्योग और सामान्य सुविधा सेवाओं में जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, फुटवियर उद्योग के लिए नई डिजाइन भी विकसित करते हैं। सूलमउ प्रौद्योगिकी केंद्रों (पूर्व में औजार कक्ष और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के रूप में जाने गए) के उन्नयन और विस्तार के उद्देश्य प्रौद्योगिकी केंद्र नामक एक कार्यक्रम 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की विश्व बैंक निधि सहित 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम की निधि विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है और कार्यक्रम का कार्यान्वयन अग्रिम चरण में है। 9 गैर सेवा राज्यों में स्थानों को नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। आशा है कि कार्यक्रम में परिकल्पित प्रौद्योगिकी भागीदार, क्लस्टर नेटवर्क प्रबंधक तथा राष्ट्रीय पोर्टल के प्रावधान विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से देश में सूलमउ के संवर्धन के लिए होंगे। कार्यक्रम समग्र देश में उपयुक्त रूप से कौशल एवं गहन कौशल के साथ बेरोजगार युवाओं के रोजगार में सुधार करेगा।

10. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम (विपणन और प्राप्ति):** खुदरा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकबारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीएसआई इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75 प्रतिशत भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यात पैकेजिंग में भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें एमएसएमई की उद्यमिता और प्रबंधन विकास के लिए सहायक सहायता हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा जागरूकता निर्माण भी शामिल हैं।

11. **डाटाबेस का उन्नयन (संस्थागत संरचना):** इस कार्यक्रम के अधीन इकाइयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा/उत्पादन मूल्य, रूग्णता/समापन की सीमा एवं बढ़ा निर्यात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय गणना के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना संग्रहण भी एकत्रित की जाती हैं। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार (उद्यमी एवं गुणवत्ता), लघु उद्यम सूचना और संसाधन नेटवर्क परियोजना, प्रचार और प्रदर्शनी, विज्ञापन और प्रचार तथा सूलमउ टीसी/टीएस इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं। सूलमउ परीक्षण केन्द्र और सूलमउ परीक्षण स्टेशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है।

12. **कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम और लघु उद्योग:** यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

13. **भारत की समावेशी नवचार निधि:** यह निधि आयोजना स्कीम के तहत एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि के नवोन्मेष हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।

14.01.01. **खादी उद्योग:** खादी अनुदान के अधीन बजटीय आबंटन में खादी का संवर्धन एवं विकास, खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता के साथ-साथ, 1.4.2010 से शुरू की गई खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट के विकल्प के रूप में खादी के उत्पादन पर आधारित बाजार विकास सहायता नामक नई योजना के लिए प्रावधान, नए उत्पादन के विकास, खादी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग के लिए और खादी कारीगरों का कल्याण,आदि जिसमें खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना शामिल है, के लिए आवंटन और केंद्रीय सिल्वर प्लांट गुवाहाटी (असम) के लिए आवंटन सम्मिलित हैं।

14.01.02. **खादी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी):** इस उप-शीर्ष के तहत खादी उद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा की जा रही विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय के लिए बजट आबंटन प्रावधान है।

14.02.01. **अन्य ग्रामोद्योग:** इस उपशीर्ष के अधीन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी को आसान बनाने और उचित आईटी सहायता, नए उत्पादों, डिजाइनों के विकास हेतु आवंटन और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के वर्तमान प्रशिक्षण केंद्र एवं केवीआईसी/केवीआईबी से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए मानव संसाधन विकास करना, सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, पोलिवस्त्र आदि के उत्पादन पर एमडीए के लिए प्रावधानों के जरिए तकनीकी उन्नयन,प्रचार-प्रसार, विकसित बाजार-पहुंच के माध्यम से ग्रामोद्योग का विकास एवं संवर्धन के लिए बजटीय प्रावधान किया गया हैं।

14.02.02. **ग्रामोद्योग (एसएंडटी):** इस उप-शीर्ष के तहत ग्रामोद्योग हेतु केवीआईसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों पर हो रहे व्यय के लिए बजटीय आवंटन है।

14.03. **खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) (स्वास्थ्य बीमा के नए घटक समेत):** केवीआईसी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर स्वनियोजित खादी कारीगरों के लिए एक समूह बीमा स्कीम नामत: खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना शुरू की थी। स्कीम दसवीं योजना अवधि के दौरान 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 15 अगस्त, 2003 से शुरू की गई थी और इसे ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा। सकीम में सभी कत्तिन बुनकर, कताई पूर्व कारीगर तथा बुनाई कारीगर जो खादी कार्यकलाप में लगे हुए एवं संपूर्ण देश में खादी संस्थाओं (गैर सरकारी संगठन) में सहयोजित थे, को कवर किया है। यह स्कीम 18 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग के शिल्पकारों पर लागू होती है। यह स्कीम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को नवीनीकृत की जाती है।

वर्तमान में इस स्कीम में कारीगरों/नामिती/बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रतिपूर्ति और / अथवा लाभ का प्रस्ताव किया है।

प्राकृतिक मृत्यु - 30000 रु.

दुर्घटना मृत्यु - 75000 रु.

स्थायी विकलांगता - 75000 रु.

आंशिक स्थायी विकलांगता - 37000 रु.

उक्त के अतिरिक्त, शिक्षा सहयोग योजना के तहत, कारीगरों के अधिकतम दो बच्चे जो कक्षा 11 से 12 और आईटीआई तक अध्ययन कर रहे हैं को प्रति तिमाही 300 रुपये बगैर किसी प्रिमियम के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

14.04. **केवीआई क्षेत्र में अवसंरचना और कौशल सेटों (डिस्क) का विकास:** यह स्कीम केवीआई क्षेत्र आदि की अवसंरचना, आईसीटी और कौशल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईटी, मानव संसाधन विकास और सम्पदाओं तथा सेवाओं को एक जगह एकत्र कर बनाने के लिए प्रस्तावित की गई है।

14.05. **ग्रामोद्योगों का संवर्धन और वर्तमान कमजोर खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों का विकास (प्रोवाइड) (कमजोर ग्रामोद्योग संस्थान के पुनरूद्धार के लिए नए घटक समेत):** यह ग्रामोद्योगों की 7 श्रेणियों के संवर्धन से संबंधित वर्तमान व्यय की स्कीमों का समुच्चय होगा जिसमें लगभग 500 कमजोर ग्रामोद्योग संस्थानों के पुनरूद्धार पेकैज का एक अतिरिक्त घटक होगा। इसमें बीमा भी शामिल है। (इसमें ग्रामोद्योग कारीगरों की बीमा भी)

14.06. **बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन समेत) तथा प्रचार (विपणन परिसर/प्लाजा के नए घटक समेत) तथा संशोधित एमडीए::** यह स्कीम मौजूदा विपणन और प्रचार गतिविधियों के अलावा निर्यातों के प्रयोजन,संवर्धन हेतु उपलब्ध और चिन्हित भूमि पर विपणन प्लाजा/स्थायी प्रदर्शनी परिसर के लिए एक अम्ब्रैला स्कीम होगी। केवीआई क्षेत्र के लिए विश्वसनीय संख्यायिकी/डाटाबेस का विकास डीम्ड ईपीसी के रूप में केवीआईसी द्वारा इस योजना के तहत उपयोजना द्वारा किया जाएगा।इस योजना के तहत, लगभग 20 अथवा इतने शीर्ष केवीआई निर्यातकों को गहन तथा विस्तृत हैंड-होल्डिंग सहायता भी दी जाएगी ताकि उन्हें निर्यात में पर्याप्त वार्षिक विकास प्राप्त करके केवीआई निर्यातों में विशेषता हासिल करने के योग्य बनाया जा सके।

इसमें एमडीए जो 01.04.2010 से शुरू किया गया है को खादी/ग्रामोद्योग अनुदान से हटा दिया जाएगा,संशोधित किया जाएगा और इस योजना में विलय किया जाएगा। इस स्कीम में खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन के मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता शामिल है, जिसे कारीगरों, उत्पादक संस्थाओं तथा बिक्री करने वाली संस्थाओं के मध्य 25:30:45 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाएगी। यह एमडीए स्कीम बाजार संवर्धन और प्रचार के लिए इस अम्ब्रैला स्कीम के एक भिन्न घटक के रूप में कार्यान्वित की जाएगी।

इसके अलावा, एक नया घटक विपणन परिसरों/प्लाजा के विकास हेतु चिन्हित जगहों पर केवीआईसी/केवीआईबी/केवीआई संस्थानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि से लाभ उठाकर विपणन परिसरों और प्लाजा का विकास करने हेतु भी उपलब्ध कराया जाएगा।

14.07. **खादी/ग्रामोद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं एक विशिष्ट विरासतीय और हरित उत्पाद के रुप में खादी के संवर्धन हेतु योजना (एसपीओकेई) (नया घटक):** खादी/ग्रामोद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और काम में नीरसता कम करने, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए की गई है और विशिष्ट विरासत तथा हरित उत्पाद (एसपीओके)के रूप में खादी के संवर्धन हेतु योजना दो विभिन्न घटकों के साथ, के द्वारा केवीआई की वस्तुओं की यूएसपी बढ़ाने के लिए विरासत और हरित उत्पादों के रूप में इनका संपूर्ण रूप से संवर्धन करने की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यक हैंड-होल्डिंग और अन्य सहायता प्रोत्साहन राशि सहित उन संस्थाओं/एककों को उपलब्ध कराई जाएगी जो आईएसओ प्रमाणन, ईको-प्रमाणन,आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में से किसी में गुणवत्ता प्रमाणन/पंजीकरण आदि प्राप्त करेंगे।

इसके अतिरिक्त, उचित प्रोत्साहन राशि के प्रावधान के जरिए केवीआई क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी/प्रक्रियाओं/उत्पादों,आदि के विकास और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी/प्रक्रियाओं/उत्पादों,आदि के विकास की लागत,आईपीआर, जीआई पंजीकरण, समुदाय ट्रेडमार्क, आदि के लिए आवेदन दायर करने और आवश्यक विधिक सहायता की लागत के लिए कुछ एक बार सहायता के रूप में हो सकती है।

15.01. **ब्याज सब्सिडी (खादी):** इस उप शीर्ष के तहत बजटीय आबंटन खादी संस्थाओं को आगे उधार देने के लिए खादी के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को विगत में दिए गए सरकारी ऋणों पर बढ़े ब्याज के स्थान पर सब्सिडी के लिए है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रांस्फर) होती है क्योंकि इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं के बदले समायोजित किया जाता है।

15.02. **ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग):** बजटीय आबंटन ग्रामोद्योग संस्थाओं को आगे उधार देने के लिए ग्रामोद्योग के संवर्धन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिए गए सरकारी ऋण पर बढ़े हुए ब्याज के स्थान पर सब्सिडी के लिए है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रॉंसफर) होती है क्योंकि इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं के बदले समायोजित किया जाता है।

16. **खादी और पॉलिवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** आईएसईसी स्कीम खादी कार्यक्रमों के निधियन का मुख्य स्रोत है। यह मई,1977 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वास्तविक निधि अपेक्षा में अंतर पाटने के लिए बैंकिंग संस्थाओं से निधियों को जुटाने और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। आईएसईसी स्कीम के तहत, संस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्था को केवल 4 प्रतिशत भुगतान की आवश्यकता होती है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा प्रभारित किसी ब्याज का भुगतान केवीआईसी के जरिए केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)से पंजीकृत सभी खादी संस्थाएं आईएसईसी स्कीम के तहत वित्तपोषण का लाभ ले सकती हैं।

17. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी):** जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान,वर्धा के पुनरुद्धार द्वारा वर्ष 2001 में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) की स्थापना की गई। एमगिरी का उद्देश्य, देश में संपोषणीय और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

18.02. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फुर्ति):** सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कयर बोर्ड के माध्यम से खादी, ग्रामोद्योग के अंतर्गत परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम नामक एक क्लस्टर आधारित स्कीम कार्यान्वित करती आ रही है, तथा कयर कलस्टरों का उन्नत उपकरण, सामान्य सुविधा केंद्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन तथा विपणन सहायता आदि उपलब्ध कराकर विकास प्रारंभ किया जा रहा है। 101 क्लस्टर (29

खादी, 47 ग्रामोद्योग और 25 कयर क्लस्टर) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई है। स्फूर्ति स्कीम को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पुनरुद्धारित किया गया है। बारहवीं योजना के दौरान 800 क्लस्टरों को विकसित करना प्रस्तावित है एवं 149.44 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 71 क्लस्टरों का पहले चरण में विकास शुरू किया गया है।

18.03. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम:** विकास हेतु स्थायी पथ का खाका तैयार करने, आय सृजन और बेहतर कार्य वातावरण के लिए खादी कतिकरों और बुनकरों को सशक्त करने तथा सुविधा प्रदान करने और उन्हें कातने तथा बुनने का कार्य दक्षता पूर्वक करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, वर्कशेडों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता बीपीएल श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को खादी संस्थानों जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता को 45000/- रु. से बढ़ाकर 60000/- रु. कर दिया गया है एवं वैयक्तिक समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए यह राशि 30000/- रु. से बढ़ाकर 40000/- रु. कर दी गई है।

18.04. **खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धता:** इस स्कीम का उद्देश्य बाजारू उत्पादों तथा खादी कारीगरों के सतत रोजगार एवं अप्रचलित एवं पुरानी मशीनरी और उपकरण के प्रतिस्थापन तथा मौजूदा चालू मशीनरी उपकरण की मरम्मत/नवीकरण के माध्यम से संबंधित सेवा प्रदाताओं से खादी उद्योग को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है। मंत्रालय ने जुलाई,2008 से केवीआईसी के जरिए खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 200 ए प्लस और ए श्रेणी खादी संस्थाओं जिनमें से 50 संस्थाएं ऐसी होंगी जो अनुसूचित जाति(एससी) अनुसूचित जनजाति(एसटी) से संबंधित लाभार्थियों द्वारा चलाई जाती हैं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

18.05. **वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना को सहायता:** खादी क्षेत्र की घ से ग श्रेणी में लाई गई रोगग्रस्त/समस्याग्रस्त संस्थाओं के निदान हेतु इसके अलावा जिनका उत्पादन, बिक्री और रोजगार घट रहा है जबकि वे सामान्य श्रेणी प्राप्त करने में समर्थ हैं को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और अन्य चिन्हित आउटलेट्स में विपणन अवसंरचना के सृजन को सहायता देने के लिए विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं के अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसरंचना हेतु सहायता की स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के तहत, वित्तीय सहायता विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ीकृत करने और चुनिंदा खादी बिक्री केंद्रों के नवीनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई है।

19. **खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता):** सरकार खादी सुधार और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करती आ रही है जिसका उद्देश्य खादी की संपोषणीयता बढ़ाने के साथ खादी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना, कत्तिनों और बुनकरों की आय और रोजगार बढ़ाना, कारीगरों की कल्याण वृद्धि और ग्रामोद्योग के साथ सहक्रिया करना है। केआरडीपी के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर सूलमउ मंत्रालय के माध्यम से बजट आबंटन के अधीन अनुदान मांग के रूप में खादी और ग्रामोद्योग को जारी किए जाने हेतु भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाते हैं।

सूलमउ मंत्रालय में सरकार ने 76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि से 100 संस्थाओं के संबंध में पहाड़ी, सीमावर्ती, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केवीआई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं अर्थात् केआरडीपी के अंतर्गत 76 लाख रुपये/संस्था जिनमें संस्थाओं के चयन के मानदण्ड में ढील दी गई है और पहाड़ी, सीमावर्ती, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की संस्थाओं के सहयोजित कारीगरों की कम संख्या सम्मिलित है।

20. **भारत नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग निधि:** माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2014-15) में नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग के संवर्धन के लिए 200 करोड़ रुपये की निधि से प्रौद्योगिकी केन्द्र नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है। तदनुसार एक स्कीम नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्र पर तैयार की जा रही है। इसमें व्यवसाय त्वरक और आरंभिक कार्यक्रम एक उप-योजना के रूप में शामिल होंगे जो अभिचिह्नन, सहायता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय एमएसएमई प्रतिस्पधियों की भूमिका को विस्तृत करने में अनुसरणीय होगा।

22. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 11वीं योजना के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को विलय करते हुए शुरू किया गया। इससे 11वीं योजना के अंत तक 1.64 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर लगभग 16.06व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। पीएमईजीपी से प्राप्त प्रतिक्रियाएं बड़ी प्रोत्साहनीय हैं। इस स्कीम में युवाओं के मध्य, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों, को स्वयं उद्यमी बनने में नई आशाएं सृजित हुई हैं। चूँकि 2008-09 से 2014-15 तक (31.12.2014 तक) 2.91 लाख इकाइयां स्थापित की गई हैं एवं लगभग 25.52 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए बारहवीं योजना में 5652.88 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ब.अ. 2014-15 में 1418.28 करोड़ रुपए की धनराशि निश्चित की गई है। पीएमईजीपी के लिए 12वीं योजना में 8060 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

23.01. **कयर उद्योग:** योजना (सामान्य)

कयर उद्योग के संपूर्ण विकास के संवर्धन हेतु और इस परम्परागत उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की आजीविका दशा में सुधार के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत कयर बोर्ड की स्थापना एक संविधानिक निकाय के रूप में की गई है। कयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां कराना; नए उत्पादों और डिजाइनों का विकास करना; और भारत तथा विदेश में कयर और उत्पादों का विपणन शामिल हैं। यह उत्पादकों और विनिर्माणकर्ताओं आदि को प्राप्तियां सुनिश्चित करके; भूसी, कयर फाइबर, कयर धागों के उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं के बीच सहकारी संगठनों को भी बढ़ावा देता है। बोर्ड ने दो अनुसंधान संस्थाओं नामत: सेंट्रल कयर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीसीआरआई), कलावूर, अल्लप्पी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कयर टेक्नोलाजी (सीआईसीटी), बैंगलुरू को कयर उद्योग के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान गतिविधियां करने के लिए, जो देश में प्रमुख कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों में से एक है, को संवर्धित किया है। उक्त स्कीम का दिनांक 31.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत कयर विकास योजना (सीवीवाई) के रूप में दोबारा नाम रखा गया है।

योजना (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

इस शीर्ष के तहत निधियां कयर बोर्ड के अनुसंधान और विकास कार्यकलाप जो इसके अनुसंधान संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं के लिए उपयोग की जाती है। कयर बोर्ड द्वारा की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में फाइबर को

प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार, प्रदूषण रहित गलाने की प्रकिया, गलाने की अवधि में कमी, उत्पादन अवसंरचना का आधुनिकीकरण, उत्पाद विकास, उत्पाद विभिन्नता आदि पर जोर दिया जाता है। ये परियोजनाएं कार्य में निरसता को कम करने की संभावना, कयर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और नए उत्पाद/प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की संभावना को प्रदर्शित करेंगी।

23.02. **कयर उद्योग का कायाकल्प, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (कयर उद्यमी योजना-सीयूवी के रूप में दोबारा रखा गया नाम):** कयर बोर्ड मंत्रालय के माध्यम से कयर उद्योग के कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता पुराने रट/लूमों के प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध करायी जाती है ताकि कामगारों की उत्पादकता/उत्पादन और आय बढ़ सके। इस स्कीम के अंतर्गत कयर इकाईयों की स्थापना की सीमा को (कत्तिन क्षेत्र में 80000/-रु. और अति लघु/घरेलू क्षेत्र में 2 लाख रुपये) को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस अधिकतम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पैटर्न 40 प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान, 55 प्रतिशत बैंकों से ऋण तथा 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली कयर इकाइयों के लिए होता है। स्कीम का 31.12.2014 के आदेश के तहत कयर उद्यमी योजना के रूप में दोबारा नाम रखा गया है।

24. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु स्कीम-वार प्रावधान रखे गए हैं।